पत्र संख्या-विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली-194-(2009-2010)/1320 / 1011053 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)
दिनांक::लखनऊ:: अक्टूबर 14 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

फील्ड के कुछ अधिकारियों एवं व्यापारियों द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली -1999 की धारा-5(1) में प्राविधानित फार्म-ई को प्रवेश कर से करमुक्ति हेतु साक्ष्य के रुप में स्वीकार किये जाने की व्यवस्था रही है। बाद में उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2000 निरसित कर दिया गया तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 लाया गया, जो पूर्वगामी प्रभाव से प्रभावी है। इस नये अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली-2008 लायी गयी, जिसमें प्रवेश कर से करमुक्ति के लिए फार्म-डी का प्राविधान किया गया है। उक्त फार्म-डी के छपने व व्यापारियों को वितरित होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली -2010 दिनांक 19-1-2010 को निर्गत हुई, जिसमें इस करमुक्ति हेतु नया फार्म-डी निर्धारित किया गया। अत: यह जिज्ञासा प्रकट की गयी है कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 के लिए उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली -1999 के नियम-5-(1) के अन्तर्गत प्राविधानित फार्म-ई स्वीकार किया जायेगा अथवा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली-2008 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 में प्राविधानित फार्म-डी स्वीकार किया जायेगा।

2- इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 को 1 नवम्बर,1999 से प्रवृत्त समझे जाने का प्राविधान किया गया था तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 को निरसित कर दिया गया था। उक्त अधिनियम -2007 के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली -2008 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2760/ग्यारह-9-(107)/07 उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(28)-2008 दिनांक 24-9-2008 को निर्गत की गयी थी जिसमें संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-122/ ग्यारह-9-(107)/07-उ0प्र0एक्ट-30-2007-आदेश- (53)-2010 दिनांक 19-1-2010 निर्गत की गयी थी, जिसके नियम-5-(1) के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-4 की उपधारा-(3ए) में निर्दिष्ट कर के भुगतान के साक्ष्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र के लिए फार्म-डी निर्धारित किया गया था।

3- उक्त समस्या के निदान के संदर्भ में मुख्यालय स्तर पर विधि समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली-2008 दिनांक 24-9-2008 को प्रवृत्त हुई थी। अत: 24-9-2008 के पूर्व की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर

नियमावली -2008 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 में प्राविधानित फार्म-डी अथवा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली -1999 में प्राविधानित फार्म-ई में से कोई एक फार्म व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो व्यापारी को इसका लाभ दे दिया जाये तथा सितम्बर,2008 के उपरान्त उपरोक्त फार्म-डी ही स्वीकार किये जाये।

4- अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश कर के प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

13/10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सँयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश, मुख्यालय लखनऊ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक सँयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा।
(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(33) शिव कुमार अरोडा,एडवोकेट ,महा सचिव,उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।

(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।

(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।

(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।

(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।

(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पँजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ ।

(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मिल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू0पी0 ।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(67) श्री बी0एन0शुकला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

13.10.14

(एस0पी0श्रीवास्तव)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।